इस्पाित मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याइ99

30 नवम्ब्र , 2015 को उत्तयर के लिए

आरआईएनएल हेतु रक्षित लौह अयस्क खानें

99. श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी:

श्री फिरोज़ वरुण गांधी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की खराब वित्तीय स्थिति के संकेत मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कंपनी के वित्तीय पतन को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र/आरआईएनएल के लिए रक्षित लौह अयस्क खानों को अधिग्रहित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार रक्षित खानों पर नियंत्रण पाने के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और आरआईएनएल का विलय करने पर गंभीरता से विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विलय के कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तङर

इस्पानतऔर खान राज्यो मंत्री (श्री विष्णुडदेव साय)

(क) और (ख): पिछले तीन वित्ती य वर्षों के दौरान आरआईएनएल ने लाभ अर्जित किया है जिसका ब्यौररा निम्न वत है:-

(करोड़ रूपये में)

	2012-13	2013-14	2014-15
कर पश्चाेत् लाभ (पीएटी)	353	367	62

वर्ष 2014-15 में हुदहुद चक्रवात के प्रभाव , बाजार परिस्थितियों, सस्तेत आयात आदि सहित विभिन्न कारकों के कारण लाभ में पिछले वर्षों की तुलना में कमी आई।

आरआईएनएल ने हुदहुद के पश्चा त् सामान्यम बहाली के लिए आवश्यतक कदम उठाए और सभी ईकाइयों को चरणबद्ध तरीके से पुन: परिचालित किया गया है , जिसकी प्रगति की

निगरानी इस्पाोत मंत्रालय द्वारा की जा रही है। कंपनी ने सम्पतत्ति आदि के नुकसान और लाभ-हानि के लिए बीमा कंपनी के समक्ष दावे भी प्रस्तुहत किए हैं।

इस्पाकत एक नियंत्रण मुक्ता क्षेत्र है जिसमें सरकार की भूमिका एक सुविधादाता की होती है। सरकार ने घरेलू इस्पाकत कंपनियों (जिसमें आरआईएनएल भी शामिल है) की सहायता के लिए कदम उठाए है जिनमें अन्य् बातों के साथ-साथ निम्नएलिखित शामिल हैं :-

- कच्चेठ माल की उपलब्धोता को सुविधाजनक बनाने के लिए एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्टे , 2015 और कोल माइन्स् (स्पेधशल प्रोविजन) अमेन्डएमेंट एक्ट 2015
- उच्च तम सीमा शुल्कब दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया; है
- प्रभावी सीमा शुल्कों ु को दिनांक 16.06.2015 और 12.08.2015 को प्रत्ये1क बार 2.5 प्रतिशत की दर से दो बार बढ़ाया गया। कुछ उत्पाोदों पर अब आयात शुल्क 12.5 प्रतिशत है;
- सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में केवल गुणवत्ता युक्त इस्पा त का आयात हो, इस्पा त एवं इस्पा त उत्पातद (गुणवत्तात नियंत्रण) आदेश 2012 में संशोधन किया है।

(ग): खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम , 1957 जिसमें खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम , 2015 के जरिये संशोधन किया गया है , के अनुसार राज्यं सरकारों को अधिनियम की धारा 10 ए के तहत निलामी की पद्धति के जरिये अथवा अधिनियम की 17 ए (2ए) के तहत आरक्षण रूट के जरिये खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसलिए नये खनन पट्टे के आवंटन को संशोधित अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमन किया जाना है।

(घ) और (ड.): राष्ट्री□य खनिज विकास निगम के साथ आरआईएनएल के विलय का कोई प्रस्ताथव नहीं है।

***